कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2712055, 271355
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या 2237 /XXV– 12/2008 (P-3) देहरादूनः दिनांक 17 अगस्त, 2017

सेवा में,

श्री महिमन सिंह पुत्र श्री स्व0 श्री रघुवीर सिंह
ग्राम– सुजिया पो0ओ0 खटीमा
जिला उधम सिंह नगर।
पिन– 262308

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 10/08/2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नही है। यदि आप सहमत हो तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

B.S. Rawat

(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

Reived
11/8/017. 3:30 pm

पत्राचारः महिमन सिंह पुत्र स्व0 श्री रघुवीर सिंह ग्राम
सुजिया पो0ओ0, खटीमा, जिला उधम सिंह नगर, पिन–262308

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
सचिवालय उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

विषय–लोक सूचनाधिकार में सूचना चाहने बावत।

आवेदक का नाम– श्री महिमन सिंह पुत्र स्व0 श्री रघुवीर सिंह ग्राम सुजिया पो0ओ0, खटीमा, जिला उधम सिंह नगर, पिन–262308

वांछित सूचना–

1. वर्ष 2002 से 2006 के बीच निर्वाचन विभाग मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मुख्यालय, सचिवालय विगत वर्ष 2002–03 में तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचन कार्यालय मुख्यालय द्वारा महिमन सिंह नाम से विभाग में रिक्त पदो के अग्रिम नियुक्ति हेतु प्रकिया चलायी गयी जिसमें रिक्त पदों हेतु महिमन सिंह नाम की नोटशीट फाईल को शैक्षिक स्नातक प्रमाण पत्र व स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न कर फाइल को कार्मिक एवं वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हुई उसके बाद तत्कालीन निर्वाचन मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री से रिक्त निर्वाचन विभाग में पद की स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त हुआ, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन मुख्यालय कार्यालय से पद के सापेक्ष नियुक्ति नही दी गयी, क्यों?सूचना देवें।

2. वर्ष 2007 से 2011 तक तत्कालीन निर्वाचन मंत्री व मुख्यमंत्री ने महिमन सिंह नाम से फाइल को स्वीकृति व अनुमोदन दिया लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी व अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचन कार्यालय द्वारा कोई भी कार्यवाही रिक्त पदो हेतु, नियुक्ति पर कोई भी कार्यवाही नही की गयी, क्यों? सूचना देवें।

3.वर्ष 2012 से 2013 तक पुनः निर्वाचन विभाग मुख्यालय से महिमन सिंह नाम की फाईल को 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा भी अनुमोदन दिया गया लेकिन तत्कालीन अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा फाइल को अपने पास ही रखा गया लेकिन 2015 में निर्वाचन कार्यालय में लगे 2008 के संविदा कर्मचारी को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमित किया गया लेकिन महिमन सिंह नाम की फाईल को नही किया गया। पुराना मामला कहकर रोका गया। पुनः 2016 अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फाईल को नियुक्ति हेतु मुख्यमंत्री को अनुमोदन के लिये भेजा इसी बीच कार्मिक विभाग में निर्वाचन से महिमन सिंह नाम की फाईल व लोक निर्माण विभाग के साथ एक नोटशीट मुख्यमंत्री को स्वीकृति अनुमोदन के लिये भेजा लेकिन आचार संहिता से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन दे दिया गया लेकिन महिमन सिंह को निर्वाचन मुख्यालय द्वारा कोई भी सूचना व नियुक्ति नही दी गयी, क्यों? इसकी सूचना देवें।

आवेदन हेतु शुल्क–10/–रू0 का पोस्टल आर्डर सं0

आवेदन की तिथि–......10/08/17......

आवेदक के हस्ताक्षर......[signature] 10/08/17......

संलग्न–10/–रू0 का पोस्टल आर्डर सं0 37एफ 890218 दिनांक......10 अगस्त, 2017